

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राज. जयपुर

क्रमांक : ई-18/एम/बाल्यूम-III/2018

दिनांक :


संशोधित आदेश

श्री दिनेश शर्मा, वरिष्ठ सहायक, आर.एम.एस.सी. के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के तहत संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.01.2016 को पे मेट्रिक्स लेवल L-10 में वेतन निर्धारण किया गया था। जिसके कारण पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 1767 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा स्वीकृत की गई एसीपी प्रभावित हुई है जो 27 वर्ष की सेवावधि दिनांक 16.03.2018 को पूर्ण कर लेने पर पे बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200/- पर स्वीकृत की गई थी।

अतः पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के तहत श्री दिनेश शर्मा, वरिष्ठ सहायक, आर.एम.एस.सी. की पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश 1767 दिनांक 19.06.2018 में संशोधन करते हुए 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर लेने पर निम्न प्रकार एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

दि. 16.03.2018 को प्राप्त वेतनमान एवं वेतन	दि. 16.03.2018 को देय वेतनमान एवं वेतन	आगामी वेतन वृद्धि तिथि
(पे लेवल 10) मूल वेतन 45300	(पे लेवल 11) मूल वेतन 47900	01.07.2018

उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक : ई-18/एम/बाल्यूम-III/2018 /3203

दिनांक : 20/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, आरएमएससी को उनके पत्र क्रमांक 474 दिनांक 27.08.2018 के क्रम में।
2. श्री दिनेश शर्मा, वरिष्ठ सहायक वर्तमान पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर